हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

25 मार्च, 1977

(द्वित्तीय बैठक)

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भाुक्रवार, 25 मार्च, 1977

पृश्ठ

संख्या

अध्यक्ष द्वारा घोशणा—

चौधरी चांद राम एम.एल.ए. द्वारा विधान सभा से अपना स्थान त्याग देने सम्बन्धी (5)1

वर्श 1977—78 के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण संबंधी वर्तमान समिति की पदावधि बढ़ाना (5)1

वर्श 1977—78 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (5)3—22

हरियाणा विधान सभा

भाुक्रवार, 25 मार्च, 1977

(द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

चौधरी चांद राम, एम.एल.ए. द्वारा विधान सभा से अपना स्थान त्याद देने संबंधी

Mr. Speaker: Under proviso to rule 58 (1) of the rules of procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to inform the House that Sh. Chand Ram, M.L.A., consequent upon his having been elected to the House of People, has resigned his seat in the Haryana Legislative Assemble with effect from the 24the March, 1977 (Afternoon).

वर्श 1977–78 के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी वर्तमान समिति की पदावधि बढ़ाना

Excise the Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): Sir, I bet to move-

"Whereas a committee called the "Committee on the Welfare of scheduled castes and Scheduled Tribes" consisting of nine-members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30the March, 1973; and

Whereas the term of the committee was extended by one year up to 31st March, 1975 in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 18the January, 1974; and

Whereas the term of the committee was extended by one year up to 31st March, 1976 in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 15the January, 1975; and

Whereas the term of the committee was extended by one year more i.e. up to 31st March, 1977 in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 27the January, 1976;

Whereas it is expedient for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its

sitting held on the 30th March, 1973, the committee on the welfare of scheduled castes and scheduled Tribes should also function for the year 1977-78.

Now, therefore, this House resolves that the terms of the existing committee on the welfare of scheduled castes and scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1977, be extended by a year i.e. up to 31st March, 1978 for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March, 1973".

Mr. Speaker: Motion moved—

"Whereas a committee called the "Committee on the Welfare of scheduled castes and Scheduled Tribes" consisting of nine-members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30the March, 1973; and

Whereas the term of the committee was extended by one year up to 31st March, 1975 in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 18the January, 1974; and

Whereas the term of the committee was extended by one year up to 31st March, 1976 in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 15the January, 1975; and

Whereas the term of the committee was extended by one year more i.e. up to 31st March, 1977 in pursuance of a

motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 27the January, 1976;

Whereas it is expedient for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30th March, 1973, the committee on the welfare of scheduled castes and scheduled Tribes should also function for the year 1977-78.

Now, therefore, this House resolves that the terms of the existing committee on the welfare of scheduled castes and scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1977, be extended by a year i.e. up to 31st March, 1978 for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March, 1973".

Mr. Speaker: Motion moved—

"Whereas a committee called the "Committee on the Welfare of scheduled castes and Scheduled Tribes" consisting of nine-members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30the March, 1973; and

Whereas the term of the committee was extended by one year up to 31st March, 1975 in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 18the January, 1974; and

Whereas the term of the committee was extended by one year up to 31st March, 1976 in pursuance of a motion

passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 15the January, 1975; and

Whereas the term of the committee was extended by one year more i.e. up to 31st March, 1977 in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 27the January, 1976;

Whereas it is expedient for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha, in its sitting held on the 30th March, 1973, the committee on the welfare of scheduled castes and scheduled Tribes should also function for the year 1977-78.

Now, therefore, this House resolves that the terms of the existing committee on the welfare of scheduled castes and scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1977, be extended by a year i.e. up to 31st March, 1978 for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March, 1973".

The motion was carried.

वर्श 1977–78 के बजट पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: According to the previous practice and in order to save the time of the House. all the Demands on

the Order paer will be deemed to have been read and moved together.

That a sum not exceeding Rs. 29,46,550 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 1- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 5,0529,555 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 2- General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 13,45,16,570 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 3-Home

That a sum not exceeding Rs. 3,37,07,630 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 4-Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 1,8578,290 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 5- Excise and taxation.

That a sum not exceeding Rs. 5,40,58,990 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 6-Finance.

That a sum not exceeding Rs. 3,60,40,295 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 7- Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs.23,81,22,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 8-Buildings and roads.

That a sum not exceeding Rs. 39,46,50,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 9-Education.

That a sum not exceeding Rs.22,35,35670 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 8,88,59,210 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 11-Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 2,13,89,990 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 12-Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 3,44,55,870 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the

charges under Demand No. 13- Social welfare and Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 1,00,66,22,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 14-Food and supplies.

That a sum not exceeding Rs. 97,32,65,120 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 15-Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 3,97,92,120 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 16-Industries.

That a sum not exceeding Rs. 15,03,37,050 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 17-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 5,25,46,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 18-Animal Husbandary.

That a sum not exceeding Rs. 33,95,815 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 19-fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 2,06,96,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 4,96,22,210 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 9,15,42,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 22-Cooperation.

That a sum not exceeding Rs. 41,31,92,550 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 23-Transport.

That a sum not exceeding Rs. 12,44,680 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 24-Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 41,44,74,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 25-Loans and Advances.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब, डिमान्ड नम्बर 8 बिल्डिंग एन्उ रोडज के बारें में है। इसका मेजर

हैड 259 हैं पब्लिक एन्ड वर्क्स डिपार्टमैंट के लिए 7,64,73,000 रूपया टोटल खर्च के लिए रखा गया है। स्पीकर साहब, मेनटेनैन्स और रिपेअर के लिए 1,39,80,000 रूपया खर्च मेंसे रखा गया है। यह रूपया इतना कम है कि इससे सड़कों की मैनटेनैस और रिपेअर नही हो सकती। यह बहुत जरूरी आइटम है। सड़कों को ठीक तरह से रख जाये तो सरकार को भी फायदा हैं पिछले साल वर्शा ज्यादा होने के कारण सड़के बहुत खराब हो गइ। इसलिए इस हैड में जो पैसे का प्रोविजन किया गया है उसमें से सड़कों की रिपेअर और मेनटैनैन्स के लिए और ज्यादा रूपया रखा जाना चाहिए।

डिमान्ड नम्बर 9 एजूके ान के बारें में है। इसका मेजर हैड 277 है। इस हैड के तहत 39,29,24,400 रूपया रखा गया है। स्पीकर साहब इसके बारें मूं डिटेल्ज में बताने लगू तो बहुत समय लगेगा लेकिन स्कूलों की मेनटेनैन्स औ रिपेअर के लिए बहुत थोड़ा रूपया रखा गया है ंवे स्कूल नही है बल्कि खण्डर नजर आते हैं उनके कमरों पर पलस्तर नही है, फ र्ा नही हैं स्कूल के चारों तरफ कोर्ठ चारदीवारी नही, बैठने के लिए फर्नीचर नही है। तो मै आपके जरिए सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दे। इसके अन्दर जो स्कूलों की हालत सुधारने के लिए रूपयारखा गया है वह तो एडमिनिस्ट्रे ान के खर्च में चला जाता है। स्कूलों की मेनटेनैन्स के लिए बहुत थोड़े पैसे का प्रोविजन

किया गयाहै। इसके लिए ज्यादा पैसा का प्रोविजन किया जाये और उनका सुधार किया जाये।

डिमान्ड नम्बर 6 फाइनैन्स की है। इसका मेजर हैड 249 हैं इसमें 22,05,01,680 रूपया इन्ट्रैस्ट पेमैन्टस के लिए रखा गया है। तो स्पीकर साहब हमारे पर कर्जे का भार इतना है कि जिसका हमें 22 करोड़ रूपया इन्ट्रैस्ट का देना पड़ रहा है। मै आपे द्वारा सरकार द्वारा सरकार से कहूंगा कि यह रकम बहुत ज्यादा है। कर्जे पर नजर रखी जाये, ज्यादा न लिया जाये। बिजली बोर्ड पर भी बड़ा भारी कर्जा है। वह सरकार से भी कर्जा ले रहा हैं सरकार ने जो कर्ज बिजली बोर्ड को दिया है उसका सूद भी नही आ रहा है ओर आखिर में सरकार ने उस सूद को भी कर्जे में कनवर्ट करना है। इस आइटम की ओर सरकार को वि ोश रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो कर्जा हम लेते है। उसका ठीक तरह से यूटेलाइजे ान हो रहा है या नही।

डिमान्ड नम्बर तीन होम डिपार्टमेंट की है। इसका मेजर हैड 255–पुलिस है। इसके लिए टोटल रूपया 10,94,72,950 मांगा गया है। स्पीकर साहब आज से दो तीन साल पहले इस डिपार्टमेंट का इतना खर्चा नही था लेकिन अब पुलिस पर बड़ा भारी खर्चाा किया जा रहा है। पहले यह हरियाणा में 6–7 जिले थे परन्तु अब 11 जिले कर दिये गये हैं जिसके कारण पुलिस का बड़ा खर्चा बढ़ गया हैं तो स्पीकर साहब, यह खर्चा बहुत बढ़ाया जा रहा है, यह अननसैसरी खर्चा है। इसमेंसे बचत करके किसी और मद के लिए,

जो डिवैल्पमैट की हो, उसके अन्दर लगाया जा सकता है। बटालियने यूं ही अंधाधुन्ध बढ़ायी जा रही है। मै नही समझता कि हरियाणा के अन्दर इतनी भारी पुलिस की आव यकता है। मै आ ा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और जो 5–6 करोड़ रूपया इस ओर रखा गया है, वह पावर और इरीगे ान के लिए लगाया जायेगा। इसके बाद में डिमान्डज नं० 3 होम के अन्डर हीमेजर हैड 256 जेल्ज पर आता हूं। इसके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। कि जेल के अन्दर रहते हुए मुझे जो कैदी है, उनसे भी वास्ता पड़ा है। आप देखते है कि जो कत्लहो जाते है उनमें से 70–80 प्रति ात कत्ल लोग इरादतन नही करते, जो ा में आकर कर`दते है गुस्से में आकर कर देते है। अमूमन देहाती लोगा होते है जो इसके लिये जिम्मेवाद होते है क्योंकि वे पढ़े लिखे नही होते। लेकिन मुझे दुःख हेाता है कि आज तक हरियाणा के अन्दर कैदियों को कोई रिमी ान नही मिली। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि जहां इरादतन कत्ल होताहै,वहां तो ठीक है, लेकिन जहा पर इरादतन ही है, जो जो ा में आकर कत्ल हो गये है या गुस्से में आकर होगये है, उनकों सरकार की तरफ से कुछ रिमी ान दी जानी चाहिये। इसके साथ ही पहले यह एक सिस्टम था, कि अमूमन 10–12 साल के बाद एक लाईफ इम्प्रीजनमै ।ट के कैदी को छोड़ दिया जाता था। उसका नक ा वगैरा जाता था लेकिन अब बोर्ड बना दिया गया हैं बोर्ड का बनना एक अच्छी बात थी लेकिन मुझ बड़ा दुःख होता है कि इस सिस्टम में भी लैकूना है। मुझे पता है 2–3 कैदियों के नक्शे वहां पर बोर्ड

में गये। लेकन बोडे में ीाी वही सिस्टम है। पहले होता था कि थाने से रिपोर्ट एस.पी. को जाती थी फिर एस.पी., डी.सी. को रिपोर्ट भेजता था। अब भी यही होता है लेकिन फर्क इतना है कि फिर वहा बोर्ड के पास जाता है। जोकि सरकार को रिकमैन्ड करके भेज देात है। मुझ हिसार जेल के 2–3 केसिज का पता है। वहां पर भी बोर्ड में क्या होता है जो पहले पहुंच जाता है और सिफारि ाकरवा लेता है, उसका काम तो हो जाता है, जा नही करवाता उसका वही पड़ा रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां परकेसिज मैरिट पर डिसाइड होने चाहिये न कि जो पहले पहुंच जाये ओर सिफारि ा करवा ले, उस बेसिज परहेानी चाहिये। 15–15, 18–18 साल हो गये है। ऐसे केसिज के अन्दर बे–इनसाफी नही होनी चाहिये। इसके बाद जहां तक कैथ्दयें के रा ान वगैरा का सवाल है। वह बहुत बुरा है। मुझे एक दो बार उनकी दी जाने वाली रोटी खाने का मौका मिला है, दाल सिर्फ पानी होती हैं कपड़ा जो उनको दिया जाता है, वह भी ठीक तरीके से नही दिया जाता। मै सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दे। स्पीकरसाहब, इसक बाद में डिमान्ड नें. 11 अरबन डिवैल्पमैंट और डिमान्डज नं. 25 लोन्ज एण्ड एडवान्सिज के ऊपर आता हूं। मेजर हैड है 284 अरबन डिवैल्पमैट 8,88,59,210 रूपये, मेजर हैड है कम्पनसे ान एण्ड पंचायती राज इन्स्टीच्यू ान्ज। स्पीकरसाहब, यह डैमोक्रेसी है। डैमोक्रेसी के अन्दर जो अदायरे है, उन पर ज्यादा रूपया खर्च होना चाहिए। इसके अन्दर जो लोकल अदायेर है, चाहे वह गांव में है या भार में

है, उनके द्वारा वहां पर ऐडमिनिस्ट्रे ान होता हैं एक बात तो यह है। कि हरियाणा के अन्दर जितने भी ये अदायरे है, उनकों सरकार ने मिटा दिया है, म्युनिसिपल कमेटी टूटी हुई है, उनके ऊपर सरकारी आदमी बैठे हुए है। इसी तरीके से जिला परिशद है। उनकों भी सरकार द्वारा तोड़ दिया गया है। इसलिए मै सरकार से यह अर्ज करूंगा कि इनहोने जो लेकल बोडीज तोड़ी हुई है।, उन परअपने आफिसर्ज डिप्यूट किये हुए है, उनकों बहाल किया जाना चाहिए। जो लोकल अफेयर्ज होते है, वह वहां के लोकल अदायरे ही कल कर सकते है। जो लोकल डिफीकल्टीज है, वह उन लोकल अदायरों के रहते हुए ही सही तौर पर हल हो सकती है। तो मै सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि इन अदायरों को अन्दर चुनाव करवाये जोय। स्पीकर साहब, इन अदायरों में जहां पर सरकारी आदमी बै।ठे हुए है, इम्प्रवूमैंट ट्रस्टों ने और म्यूनिसिपल कमेटियों ने खूबसूरती के नाम पर लोगों की दुकाने गिरवा दी। अगर आप इस बात की इन्कवायरी करवाये तो इस बात की आत को कही पैरेलल मिसाल नही मिलेगी। करोड़ों रूपयों की प्रोपर्टी पर एक द से बुलडोजन फिरवा दिया गया। यह जो खूबसूरती पैदा की गयी है यह गरीब आदमी की ला ा पर खड़ी की गई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि छोटे–छोटे दुकानदार की दुकानों पर करलान में बुलडोजन फिरवा दिया गया। यह कोई अच्छी बात नही हैं आप कह देते हो कि करनाल की फेसवैलयू बढ़ी हैं फेस वैल्यू की बात आपकों मै क्या बताऊ। वहां पर चांद कालोनी और हरिजन कालोनी मे बल्ब एक भी नही जलता जबकि

करनाल भाहर पूरी रो नी है। मै दावे के साथ कहता हूं कि वहां पर चांद कालोनी या हरिजन कालोनी में एक भी बल्ब नही जलता। इसी तरह से इन्होने प्रोपर्टी की वैल्यू देने में गड़बढत्र की है। एक जगह परतो किसी एक आदमी कीा जमीन है उसकेां तो कम्पनसे ान कम देते है। लेकिन उसी जगह पर किसी दूसरे की जमीन है, जो किन्ही खास आदमियों या अफसरों का सलाम करता होगा, रूलिग पार्टी के साथ उसका कोई संबंध होग, उसकों तो 27—27 लाख रूपया कम्पनसे ान दे दिया गया है। स्पीकरसाहब, एक ही जगह पर साथ लगती दीवार के पास की जमीनका एक को 27 लाख, कामरेड राम प्यारा को 20 हजार, मुझे मेरी फक्टरी का 5 हजार कम्पनसे ान दिया गया है। इस तरह से कम्पनसे ान दिये जा रहे हैं स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा सरकार से यह कहूंगा कि क्या सरकार इस बात की यह जो धांधली करने के लिए, अपनी जेबे भरेनेके लिए यह नोटिस दिया जाता है। कि यह जगर ली जाएगी। लेाग उन अफसरों के पीछे भागे फिरते है और इस प्रकार से लोगों से पैसा लेते है। मै रिटन में पे करताा हूं। अगर सरकार इस बारें मे इन्क्वायरी करवाने के लिए तैयार हो। अगर किसी बड़े आदमी की सिफारि ा पहुंच जाती है या उनको पैसा मिल जाता है तो वह स्कीम खत्म कर दी जाती है। स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि लोकल इदारों को बहाल किया जाएसं उनमें चुनाव होते थे। वहां पर चुने हुए नुमाइंदे बैठते थे। यह सारी बात मै जाति गरज की वजह से नही कह रहाूं। मै तो यह चाहता हूं कि मैरिट के ऊपर सारा केस

डिवाइड होना चाहिए। किसी गरीब आदमी को तो कम्पनैनसैट ने किया जाए और किसी को लाखों रूपया दे दिया जाए और किसी को कुछ न दिया जाए। एक ही जगह हो लेकिन इतना फर्क किया जाए यह ठीक नही है। अगर सरकार इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार हो तो मै आंकड़े देने को तैयार हूं कि किन सरकारी अफसरों ने और इम्प्रूवमैंट के अफसरों ने किस तरह से लोगों को लूटा है। इन्होन 75 लाख रूपया हाउस टैक्स के बदले में लोकल बाडीज को देना दिखाया है। मेरी मांग थी कि दोनो टैक्सों यानी हाउस टैक्स और प्रापर्टी टैक्स में से एक रहना चाहिए लेकिन सरकार ने दोनों को मिलाकर एक रि दिया लेकिन उसका लाभ जनता को कु।छ नही मिला। गरीब आदमी को कुछ भी लाभ नही पहुंचा। पहले म्युनिसिपल कमेटी के अन्दर एक कमेटी बनी हुई थी वहा मौके पर जाकर देखती थी, वअ असैस करती थी। तब जाकर हाउस टैक्स के लगाने का काम सरकारी अफसरों के हाथ मे आ गया है। वह मौके पर जाकर देखते नही, आफिस में ही बैठकर अंधाधुंध कीमल लगा देते है। अगर कोई ऐप्रोच कर लेता है तो उसकों रियासत मिल जाती है और गरीब आदमी होता है और जिसकी ऐप्रोच नही है उसको कोई रियायत नही मिलती।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): आपके ख्याल मे सारी दुनिया बेईमानहै। सारे आफिसर बेईमानहै, इम्प्रवमेंट ट्रस्ट के कर्मचारी बेईमान है। राम लाल के सिवा सारी दुनिया बेईमान है।

चौधरी राम लाल वधवाः ईमानदारी सामने आ जाएगी। आप इंक्वायरी करवा लें। जो बेईमान है उनके बारमें मे कह रहा हूं। स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थनाहै कि हाउस टैक्स और प्रापर्टी टैक्स को एक मिलाकर उसकी भारह जो पच्चीस परसेन्ट है उसकों साढ़े बारह परसेन्ट रहने दिया जाए। आपने इस समय जो दोनों को मिलाकर 25 प्रति ात का रेट रखाहै उसकागरीब आदमी को काई लाभ नही हुआ। अर्बन डिवेलपमैन्ट के अन्दर सरकार की तरफ से उन अदारों को कितना रूपया दिया जाएगा कोई प्रोवीजन नही है। मै समझता हूं कि पंचायती इंस्टीच्यू ांज में अर्बन डिवेलमेंट के अन्दर सरकार का बिल्कुल इन्ट्रैस्ट नही है क्योंकि इन अदारों को चलाने के लिए सरकार की तरफ से काई प्रोवीजन नही है। मै समझता हूं कि पंचायती इंस्टीच्यू ांज में अर्बन डिवेलपमेंट के अंदर सरकार का बिल्कुल इन्ट्रैस्ट नही है क्योंकि इन अदारों को चलाने के लिए सरकार की तरफ से काई प्रोवीजन पैसे का नही किया गयाहै। मै म्यूनिसिपिल कमेटी करनाल की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। करनाल में माडल टाउन कहै वहां पर बड़े आदमी रहते है वहां पर पानी का रेट पांच रूपया है और भाहर के अन्दर 4.24 रूपए रेट था। यहां पर गरीब आदमी रहते है, मजदूर रहते है, हरिजन रहते है। अब भाहर के अन्दर 4.24 रूपये से बढ़ाकर 15.20 रूपया कर दिया है लेकिन माडल टाउन जहां बड़े आदमी रहते है वहां पर पांच रूपया है।

श्री बनारसी दास गुप्ताः अगर ऐसी बात है तो इसका जरूर इलाज करेंगे। इसको जरूर देखेगे।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, मै यह कहना चाहता हूं कि जितना पैसा लिया जाए उस हिसाब से पानी तो दिया जाए। मेरा ख्याल है कि अगर कोका कोला भी कोई आदमी पिए तो भी कम खर्चा आएगा। आपने जो 4.25 रूपए से बढ़ाकर 15–20 रूपए कर दिया है आप यह देखे कि यहां कहा तक न्यायसंगत है। इस पर गौर करें और मै आ ।ा करता हूं कि इसकेा कम करने की कोि ।ा ।ा करेंगे ताकि गरीबों को सहुलियत मिल सके। स्पीकर साहब इसके साथ ही डिमान्ड नम्बर 7 है। मेजर हैड 285–इन्फरमे ।ान एंड पब्लिसिटी इसके बारें में यह कहूंगा कि इस डिपार्टमैंट की इतनी ही जरूरत है कि सरकार को किसी वक्त कोई चीज इ ।ू करनी है तो यह डिपार्टमेंट उसको इ ।ु कर दे लेकिन यह विभाग सरकारी ढंढोरची बनकर रह गया है। फोटो छापना, प्रोपेगेन्डा करना, जहां कोई मिनिस्टर जाता है। वहां पर लाउड स्पीकर लेकरये लोग पहुंच जाते है। गाना, नाचना, ड्रामें करना इस प्रकार का काम इनका रह गया है। इस पर 84 लाख 60 हजार 200 रूपया खर्च हो रहा हैं इस पर इतना खर्च करने की जरूरत नही है। मै चाहूंगा कि जितना जरूरी है पांच–दस लाख वह किया जाए।

श्री ओम प्रका ।ा गर्गः आन एं प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, मै चौशरी राम लाल वधवा से यह पूछना चाहता हूं

कि राव बीरेन्द्र सिंह को नौ माह हकुमत रही क्या उस समय आपनै यह महकमा खत्‍ कर दिया था?

चौधरी राम लाल वधवाः हमने इम्प्रवमेंट ट्रस्ट तोड़े। इस तरह से हमने मिसयूज नही किया (व्यवधान)। स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि जितना जायज खर्चा हो चानी पांच–दस लाख रूपया इस पर खर्च किया जाए और बाकी रूपया किसी और हैड में खर्च किया जाए।

स्पीकर साहब, इसके बाद डिमान्ड नम्बर 12 मेजर हैड 287– लेबर एंड एम्पलाएमेंट पर आता हूं। इसमें 2,13,89,990 रूपया मांगा गया है। स्पीकर साहब, मैने पहले भी कहा था कि जहां तक मजदूर तबके का ताल्लुक है उसको न्याया बहुत भीर्घ मिलना चाहिए। अब यह होता है कि इंडस्ट्रियल कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जो फैसला करने वाला होता है उनकों एक साल की एक्सटेन्श्ज्ञन मिलती है। जिससे न्याया मिलने में देरी हो जाती है और उनकां यह भी फिक्र रहती है कि कोई ऐसा फैसला न हो जाए जिससे उनकी ऐक्सटेन ान पर असर पड़े। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि उनकों परमानेन्ट बेसिज पर कम से कम पांच साल के लिए रखा जाए। जिससे न्याय का काम जल्दी हो सके। स्पीकर साहब, इसके साथ ही बहुत से कानून बने हुए है जैसे पेयमेन्ट आफ वेजिज एक्ट, मिनिमम वेजिज एक्ट, फैक्टरीज एक्ट, भााप्स ऐक्ट वगैरा है और डिफरेन्ट म ीनरीज न्याया देने के लिए बनी हुई लेकिन उसकी पावर्ज लेबर आफिसर

और लेबर इंस्पेक्टर्ज को दे रखी है और कैपिटलिस्ट उसका फायदा उठाते है। सरकारको इस बारें में गौर करना चाहिए। इस समय लेबर इन्सपेक्टर्ज को जा पावर्ज दी हुई इसकसे उनका एग्जैविटव का काम जुडि ायल के काम में बंट जाता है। और मजदूरों को न्याय मिलने में देरी होती है। मेरी प्रार्थना है कि जहां पर एक लेबरकोर्ट है वहां पर दो लेबर कोर्ट बना दी जाए या डिस्ट्रिक्अ प्लेस पर इसी काम के लिए एक सै ान जज की परमानेंट नियुक्ति की जाए तो डे–टू–डे की प्रोसीडिग्ज जारी रख सके ओर गरीब आदमी को भीघ्र न्याय मिल सके। इस प्रकार उन लोगों की तनख्वाहे और दूसरे झगड़े वगैरह जो है उनका जल्दी से जल्दी फैसला हो सकेगा। मै आपके द्वारा सरकार से यह कहूंगा कि इस पर सरकार गौर करे ताकि लोगों के साथ जल्दी इन्साफ हो सके। बस स्पीकर साहब, मै इन्ही डिमांडज पर बोलना चाहता था और मुझे पूरी आ ाा है कि जिन जिन डिमांडज पर मै बोला हूं, सरकार उन सुझावों पर अव य ध्यान देगी, इन अलफाज के साथ मै आपका धान्यवाद करता हूं कि आपेन मुझ बोलने का समय दिया। **Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):** Sir, I want to say a few words by way of clarification.

Hon. Member, Mr. Ram Lal’s statement with regard to abolition of House Tax is not correct. Deputations from all the towns called upon me and the Hon. Chief Minister and desired the merger of both the taxes, the Property Tax and the House tax. Their intention was for the Merger of both the taxes and not for abolition of the House Tax.

The second statement made by the hon. Member is that Property tax is charged at a higher rate.............

चौधरी प्रताप सिंह दौलताः स्पीकर साहब, मेरी इस बारें में एक रिकवेस्ट है कि आपने लीगली तौर पर दोनों को मिलाकर एक कर दिया 25 रसेन्ट लेकिन आप इसकों प्रापर्टी टैक्स का नाम न दे इसका नाम लेक्ल टैक्स रख दे क्यों कि हरियाणा क सिवाये और किसी स्टेट में प्रापटी टैक्स नही है।

Sh. Shyam Chand): The property tax is collected by the taxation department. The House tax is collected by the Municipal Committees. The Government can collect any tax on behalf of the Municipal Committee but the Municipal Committee cannot collect any tax on behalf of the government. That is the legal difficulty.

The second point raised by the hon. Member was that the property tax is charged at a higher rate. My hon. colleague, Mr. Godara, has been pressing me all the time that the taxation Department is collecting tax at a lower rate and they are at a loss. I can give figures on the floor of this House where House Tax is charged at higher rate than the property tax. Therefore, both the contentions of the hon. Member are not correct.

Then the hon. Member, Mr. Ram Lal, said that there is malpractice among the Inspectorate staff. If he can cite any one example, I will punish the officer. I will have no hesitation at all.

चौधरी पीर चन्द (बरवाला): अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामे सन् 1977–78 वर्श का बजट प्रस्तुत हुआ है और उस पर मेरे काफी भाईयों ने बहस भी की है। मै अब डिमांड नम्बर 3, 5, 8, 10, 11 और 13 पर आपकी इजाजत से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे से पहले मै डिमांड नम्बर 3 पर बोलना चाहूंगा, यह जो डिमांड नम्बर 3 है। यह पुलिस विभाग से संबंधित है, सरकार इन्हें इतनी बड़ी रकम देने जा रही है। इस पर पुलिस विभाग ने जो पिछले 19 महीने के अन्दर ज्यादतियां की है। वह सब को विदित है और कोई इससे इन्कार नही कर सकता। मै खुद भी जेल में रहा हूं पुलिस ने बहुत से भारीफ आदमियों पर झूठे केस बनाकर उनकों अन्दर कर दिया। अगर यह सही केस बनाकर लोगो को अन्दर करें तो उचित है। अंग्रेजों के जमाने में भी लोगों पर झूठे केस बनाये जाते थे लेकिन इस तरह से अत्याचार नही होते थे जिस तरह से कि आज इस सरकार के राज में हो रहे है और पुलिस वालों को, स्पीकर साहब, यह हिदायते थी कि जिन जिन की लिस्टें हम बनाकर दें उनकों अन्दर कर दो और यह पूछने की आव यकता नही कि आप किस जुर्म में लोगों को अन्दर कर रहे है। किसी को किसी का जुर्म नही बताया गया। उस पुलिस को इतनी बड़ी रकम दी जा रही है जिसने इस तरह के काम किये हो यह कोई अच्छी बात नही है, अगर पुलिसको अच्छे कमा के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ठीक है, हम इससे सहमत है गल्त कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिये इतनी रकम दी जाए ठीक नही। फिर ये कहते है कि हम गांधीवादी है, मै तो

इनकों इस हिसाब से गांधीवादी नही कहता। लेकिन आज इस सरकार से यह तवक्की नही की जा सकती कि उनके साथ इन्साफ होगा। स्पीकर साहब, अभी पिछले दिनों, हिसार जिले के अन्छर एक गांव बालसमंद है वहां से एक हरिजन लड़के को पुलिस वालों ने राम के वक्त घर से उठाया और थाने में ले गये, उसे खूब मारपीट की और वह लड़का वहां पर मर गया। उस आदमी को वहां यह कहा गया कि तुम को चेारी के भाुबा में बुलाया गया है लेकिन उस गरीब आदमी की कोई सुनवाई नही हुई।

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मै यह कहना चाहता हूं कि मैम्बर साहब जो बात सदन में कहे वह सही कहनी चाहिये। वह लड़का मरा, दोश आफसरों के लिये है, 302 का केस रजिस्अर किया गया और वे गिरफ्तार हुये, यह गल्त बात कह रहे है।

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीट। अगर 302 का केस रजिस्टर हुआ है तो यह केस सब–जूडिस है, इस बारें यहां पर चर्चा नही हो सकती।

चौधरी पीर चन्दः अध्यक्ष महोदय, इससे आगे में आपकों और बताता हूं, बरवाला के अन्दर रात के 8 बजे एक आदमी को घर से बुलाकर थाने में ले गये, उसने पूछा कि मेरा कसूर क्या है कहा गयाकि चोरी के सिलसिले में उसकों यहां पर बुलाया है। नौ बजे उसकों मार दिया और उसके बाद उसकों टांग दिया गया

और वहां पर कुछ लोग और बैठे थे जब गांवों वाले लोगो ने रोश प्रकट किया तो और पुलिस हिसार से मंगई गई और फिर दूसरें लोगों को रस्ते से बांध दिया गया।

श्री बनारसी दास गुप्ताः कितने साल पुरानी बात है यह बरवाला वाली।

चौधरी पीर चन्दः मै तो अब की बात कर रहा हूं और कहता हूं कि आगे से ऐसी बात न करना। (विघ्न)

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, जिस समय की बात कर रहे है उसे बाद एक बजट पास हो चुका है।

चौधरी पीर चन्दः मै तो कहता हूं कि आगे से ऐसा काम न हो। (विघ्न)

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, मेरे विरोधी भाइयों को सरकार की नुक्ताचीनी करने का पूरा अधिकार है लेकिन इनकों नुक्ताचीनी सही करनी चाहिए। (ाोर)

चौधरी पीर चन्दः जो बात मैने कही है अगर यह गल्त है तो मै इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। (ाोर)

श्री बनारसी दास गुप्तः अध्यक्ष महोदय, ये कहते है कि अगरयह बात गलत हो तो वे इस्तीफा दे देगे। मै यह दावे के साथ कहता हूं कि वहां 302 का केस रजिस्टर हुआ था और

जिम्मेदार आदमी को गिरफ्तार किया गया। तो इनके मुताबिक यह गल्त बात है या सच्ची? (ाोर)

श्री अध्यक्षः आप डिमांड पर ही बोले।

चौधरी पीर चन्दः मै डिमांड पर ही बोल रहा हूं। (ाोर) तो मै आपसे कह रहा था कि पुलिस कर्मचारियों ने एमरजैसी के दौरान जो कुछ कियाहै उसकी कोई दूसरी मिसाल नही है। हर गांव में जाकर इन्होने लोगों को तंग कियाऔर फिर फैमिली प्लानिंग के लिये भी हर गांव में लोगों को तंग किया गया वरना डाक्टर और कम्पाउंडरों को कोई दिक्कत नही थी कि वे लोगों को तंग करते। होता यह था कि पुलिस की गारद आती थी और लोगों को घेर कर अस्पतालों में ले जाती थी जहां उनकी नसबन्दी कर दी जाती थी। (विघ्न एवं भाोर)

Mr. Speaker: This is not general discussion. I will not allow you to speak like this.

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब आप उनकों भी तो मना करें। अब मै प्रोपर्टी टैक्स के बारें में कहना चाहता हूं। सरकार ने हर हिस्म के टैक्स लगा दिये कोई कमी नही रखी। यह जो मांग की गई कि मकानों पर दो दो टैक्स लगा दिये कोई कमी नही रखी। यह जो मांग की गई कि मकानों पर दो दो टैक्स नही होने चाहिये यह बिल्कुल जायज थी। मै भी आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जिनके पास अपने मकान है उनके साथ यह अत्याचार है क्योंकि टैक्स एक होना चाहिए।

दूसरी स्टेट्स के अन्दर भी एक ही टैक्स है। इसके अलावा इस टैक्स को एक करके जो 25 प्रति ात किया गया है यह भी बहुत भार है। स्पीकर साहब, इसके साथ साि मै आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से और चौधरी भयाम चन्द जी से यह भी निवेदन करूंगा कि सेल्ज टैक्स से उन्हें बहुत आमदनी होती है। इसलिए भाराब को हरियाणा में घआ दिया जाए। अगर भाराब बन्द कर दी जाएगी तो पुलिस की ज्यादती भी कम होगी और लोगों के विचार भी सुधरेगे। अब भाराब पीकर लोग सड़कों पर फिरते है और सरकार ने सड़कों पर 15–15 ठेकों की लाइनें लगा रखी है। हमारे हिसार के अन्दर पहले सिर्फ दो ठेके होते थे वहां आज 40 ठेके है जिधर से कोई भला आदमी गुजर नही सकता।

श्री अध्यक्षः यहा कोई डिमांड नही है जिस पर आप बोल रहे है।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, मै डिमांड 5 पर बोल रहा हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः देखिये यह जनरल डिस्क ान नही है। जनरल डिस्क ान के समय आप बोल सकते थे। अब हाउस के सामने जो डिमांड्ज है उनमें से एक एक हो लेकर उन पर आप बोल सकते है। (विघ्न)

चौधरी पीर चन्दः ठीक है जी, अब में डिमांड 8 जो सड़कों के बारे में है उस पर बोलना चाहता हूं। हमारे बरवाला के

अन्दर पिछले पांच साल के दौरान भाायद ही कोई सड़क बनी हो। मै इसका कारण नही समझ पाया कि सरकारकी मेरे साथ कोई नाराजगी है या वहां की जनता के साथ नाराजगी होगी। एक ढाणी बरवाला के वास है वहां सन् 73 मे ईट भी पड़ी और रोड़ी उठा ली गई। अध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि बरवाले के हर गांव को सड़क से जोड़ दिया जाए।

परिवहन मंत्री (श्री के० एल० पोसवाल): पता करवा लेगे कि कही आपकी सिफारि ा से तोवह रोड़ी और ईटे नही उठवा ली थी। (हंसी)

ि ाक्षा मंत्री (पंडित चिरंजी लाल भार्मा): ऐसाा होगा कि उस गांव में आपकी मुखालफित होगी और इसलिए कह दिया होगा कि यह रोड़ी उठवा दो। (विघ्न)

चौधरी पीर चन्द: अगर आपका यही मं ाा है तो इसका मतलब यह है कि आप उसे बनवाना नही चाहते। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: यह जो पैसा मांगा जा रहा है यह 1977—78 के लिये मांगा जा रहा है।

चौधरी पीर चन्द: स्पीकर साहब, मै यही कह रहा हूं कि अब बनवा दो। ये अगर समझदार है तो इनकों ऐसी बात नही कहनी चाहिये थी। चलों में फिर निवेदन कर देता हूं कि उसे अब बनवा दो।

स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हस्पतालों में दवाइयों का इन्जाम ठीक नही है। कोई आदमी यह नही कह सकता कि हस्पतालों में पूरी दवाइयां है, हां, डाक्टर जरूर बैठे है, लेकिन दवाइयां नही है। इस बजट को और बढ़ा दो, कोई बात नही है, हस्पतालों में दवाइयां तो पहुंचनी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हर हास्पिटल को बाकायदा मेनटेन किया जाए। बहुत सी जगहों पर हौस्पिटल्ज की बिल्डिंग्ज टूटी फूटी है, जैसे हांसी का हौस्पिटल है। हौस्पिटल्ज में सफाई का इन्जाम भी बहुत कम है, कोई सुविधा नही है। हस्पताल का इन्जाम ऐसा होना चाहिए कि कोई व्यक्ति ऐसा न चाहे कि वह अपना इलाज किसी प्रोइवेट डाक्टर से करवाये। मैने देखाहै कि 80 प्रति ात लोग इलाज प्राइवेट डाक्टरेां से करवाते है क्योंकि हस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध नही होती। मेरा सरकार से निवेदन है कि दवाईयों की सुविधा दी जाए।

अब मै डिमांड नं० 11 के मुताल्लिक आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं। मै मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वह ऐसाी डिमांड है जिस का पैसा बाजये सुख के, पब्लिक को दुख देने के लिएखर्च किया गयाहै। ये कहते है कि ग्राम सुधार किया जाता है। कोई सुधार नही हुआ है बल्कि लोगों का बिगाड़ हुआ है। इस सुधार के तहत इन्होने लोगों को मार्केट्स साफ कर दी, जो काई सालों से बाजार बसे थे वे साफ कर दिए, मकान साफ

कर दिए, चबूतरे साफा कर दिए। भाायद मुख्य मंत्री जी को पता है, भिवानी के अन्दर एक मन्दिर था वह भी साफ कर दिया, जिसको हिन्दू धर्म का रक्षक कहते है, उसको भी साफ कर दिया (व्यवधान)। स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर ऐसे कामों को लिए आप सदन स`पैसा मांगे और कहे कि सदन इसकों मन्जूरी दे, मै समझता हूं कि सदन को मन्जूरी नही देनी चाहिए क्यों कि इस पैसे से मन्दिर जैसी पवित्र जगह को भी इन्होने साफ कर दिया। सैक्ड़ें सालों का मन्दिर था। वहां पर सैकड़ों सालों का घंटाघर बनाह ुआ था उसकों भी साफ कर दिया और फिर कहते कि इससे भिवानी की भाान बनी है, भाहर का सुधार करते है। सुधार नही करते ये तो साफ करते है, मन्दिर साफ, घंटाघर साफ, दुकानदार भी साफ कर दिया, इसमें कोई दो राय नही हो सकती। जितना अत्याचार इस राज में हुआ है, मेरे ख्यचाल में इतना किसी युग मे ंनही हुआ। जहां तक हमारी यादा त काम करती है इतना अत्याचार पहले कभी नही हुआ। (व्यवधान) स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि इन कामों को बन्द करे।

अब मै डिमांड नम्बर 13परबोलना चाहता हूं। इन्होने बड़ा प्रचार किया कि हरिजनों के लिए प्लाट दे दिए, हरिजनों का उद्धार रि दयिा और हरिजनों का वहां चढ़ा दिया जहां आज तक कोई आदमी नही चढ़ा। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

श्री बनारसी दास गुप्तः आपका जो कलयाण कर दिया।

चौधरी पीर चन्दः यह कहते है कि मेरा कल्याण कर दिया, सुन लो, मेरा कल्याण किस तरीके से कियाहै मेरे पास बाग था वह एक्वायर कर दिया, जमीन थी वह एक्वायर कर ली..............

उपाध्यक्षाः यह तो कोई डिमांड नही है। (व्यवधान)

चौधरी पीर चन्दः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपका कल्याण कर दिया, इसका सबूत मैने दियाहै, मेरा कल्याण मेरी जमीन एक्वायर करके किया है।

श्री बिहारी लाल बाल्मीकीः डिप्टी, स्पीकर साहिबा, मै आपके द्वारा इनसे पूछना चाहता हूं कि ये हरिजनों को जौ पैसा देते है, उस पर 25 फीसदी सूद क्यों लेते है? (व्यवधान)

चौधरी रिजक रामः डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस तरह से इन्ट्र ान नही होनी चाहिए। मै प्रार्थना करूंगा कि मैम्बर साहब को बोलने देना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्षाः आनरेबल मैम्बर बोलने से पहले डिमांड नम्बर मैन ान करें और कोई रैपोटी ान नही होनी चाहिसए। आप बताएं कि कौन सी डिमांड पर बोल रहे है।

चौधरी पीर चन्दः मै मुख्य मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि इन्होने गांवों में लोगों को जो लम्बी चौड़ी बाते करके वचन दियाहै उसको पूरा करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्षाः आप किस डिमांड पर बोल रहे है, यह तो डिमांड में नही है?

चौधरी रिजक रामः आप इन्हें बोलने तो दे (व्यवधान)

चौधरी पीर चन्दः इन्होने जनता को जो वि वास दिया है वह पूरा होना चाहिए। इस बजट में जो रकम रखी गई उससे मुढे ऐसा नजर नही आता कि कोर्ठ अच्छा काम होगा। अगर इन्होने किसी काम को करना है तो सही ढंग से करें.............

उपाध्यक्षाः आप किस डिमांड पर बोल रहे है?

चौधरी पीर चन्दः डिमांड नम्बर 13 है जो सो ाल वैल्फेयर के बारें में है। इन्होने हाउस में सो ाल वैल्फेयर के लिए जो रकम रखी है बहुत कम है। मै मुख्य मंत्री महोदय से और चिरंजी लाल भार्मा, माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होने जो एक एलान कर दिया कि एक लाख प्लाट हरिजनों को द दिए है, इससे काम नहीचलेगा, हरिजनों की भलाई ऐसे नही होगी, कम से कम मकान बना कर दें दे ताकि वे उन प्लाटों का फायदा तो उठा सके। कम से कम यही कर दे हरिजनों को गांवों से छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगा दे। जो ये कहते है कि धर्म ाालाओं और कुओं की मुरम्मत का काम कराया गया है, उससे काई फर्क नही पड़ता। इन सबसे जरूरी काम जो है वह रोजगार दिलाने का। पढ़ाई के लिए बजीफे ज्यादा दे। आज की मंहगाई के टाईम में जो बजीफे दिए जाते है ये कम है। इनेस उनका गुजारा नही हो

सकता। जब इतक इनकी माली हालत अच्छी नही होगी। तग तक ये अपने पांव पर खड़े नही हो सकते। इसके लिए यदि गांव में फैक्टरीज लगाई जाएं और फैक्टरीज में इन्हे पार्टनर बनाया जाए तब तो हो सकता है कि इनका कल्याण हो जाए वरना इन बातों से इनका भला होने की बात नही है। इन भाब्दों के साथ, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने जो मुझे बोलने का टाईम दिया उसके लिए मै आपका धन्यवाद करता हूं।

ि ाक्षा मंत्री (पंडित चिरंजी लाल भार्मा): डिप्टी स्पीकर साहिबा, बोलने का तो विचार नही था लेकिन एक दो अपोजी ान के मैम्बर्ज ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए चूंकि कुछ बातें कही हैं जो निराधार हैं इसलिए मैं इस सदन का थोड़ा सा समय लूंगा। श्री रामलाल जी ने ऐजुके ान डिपार्टमैंट के बारे में कहा कि इलैक ान के दिनों में उनको बहुत से स्कूल देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन स्कूलों की हालत खराब थी, कमरे गिरे हुए थे। उन्होने स्कूलों की पिक्चर इतने भयानक रूप से पे ा की जो हकीकत पर मबनी नही है। अगर वे किसी खास स्कूल का जिक्र करते कि उस स्कूल की बिल्डिग की रिपेयर की जरूरत है तो उसे हमें देखते। लेकिन उन्होने कोई कोजन्ट इंस्टांस नही दिया। अगर कोई खास बिल्डिग उनके नोटिस में आई है तो वह बता दे। हमारी नोटिस में तो आती है उसकी रिपेयर करा दी जाती है।

दूसरी बात चौधरी पीर चन्द जी कही कि पंडित जी एलान तो करते रहे लेकिन किया कुछ नही। लेकिन मै अर्ज करना चाहता हूं कि मैने जो एलान किया उसे अमली जामा भी पहनाया। बीस सूत्री प्रोग्राम तो बाद में आया था। हरियाणा सरकार उससे पहले ही यानि मार्च 1975 में यह काम भाुरू करचुकी थी। मैने 4 अप्रैल, 1975 को रोहतक में यह कहा था कि भुमिहीन हरिजनों को जिनके पास मकानात नही है या मकानात बिल्कुल छोटे–छोटे है या नाकाफी है उनकों सौ मुरब्बा गज के प्लाट दिए जाएंगे। इसे लिए चार वजीरों पर मुस्तमिल एक सब कमेटी बनाई गई थी। हरेक गांव में हरिजनों के और पिछड़ी हुई जातियों के माकनात की पैमाइ ा कराके रिकार्ड तैयार कराया गया और जो ऐलिजिबल थे उनको 2,14,000 प्लाटस दिए गए। केवल हजार, दो हजार प्लाट की अलाटमैंट हाई कोर्ट में रिट होने की वजा से स्टे हुई है। अगर आनरबेल मैम्बर कोई एक मिसाल नोटिस में लाएं कि प्लाट नही दिया गया और कागजी कार्यवाही की गई है। तो मै उस बारें में उनकी तसल्ली करवा सकता हूं। इसके लिएतो एक स्टैडिग इंस्ट्रक्शन गवर्नमैंट की तरफ से, हमारे फाईनैन्ि ायल कमि नर की तरफ से रैवेन्यू अथारिटीज को गई थी जहां भी इंडिविजुअल की ि ाकायत आए कि उसे प्लाट नही मिला और रूलज के तहत वह ऐलिजिबल है तो उसकों प्लाट दिया जाए। अब भी सदन में मै आपके जरिए यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस किस्म की दरखास्त यदि सिी आनरेबल मैम्बर के पास आए तो वह हमारे नोटिस में लाए। तो मै कहता हूं कि हम सिर्फ दावे ही नही

करते थे बल्कि उनको अमली जामा भी पहनाया है। हमने से सिर्फ प्लाटस अलौट को कर्जा दिलाया गया है। अब भ्ळाी हमारी सरकार की स्कीम है कि कम सके कम 25 हजार मकानात हर साल बनाए जाएं। बैक का कर्जा पहले व्यापारियों, ट्रेडर्ज और इंडसिट्र्यलिस्टस को मिलता था और गांव के किसान को, मजदूर को जो फटे पुराने कपड़े पहन कर वहां जाता था उसकों वहा दाखिल नही होने दिया जाता था। फिर जो लोन दिलाया है वह भी चार परसन्ट इंट्रैस्ट पर दिलवाया है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मदद कोई हो नही सकती फिर भी मै बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि इस तरह की कोई बात यदि आनरेबल मैम्बर के नोटिस में आए तो वे डिप्टी कमि ानर को बताएं, सब डिविजनल औफिसर को बताएं या तहसीलदार को बताएं। अगर वे न सुने तो कंसर्न्ड मिनिस्टर के नोटिस में लाए। अब भी, हर भाख्स जो एलिजिबल है उसको प्लाट दिया जाएगा। चोधरी रामलाल जी ने एक बाय यह कही कि सरकार ने अपने पास से क्या दे दिया, ये प्लाट तो उसने भाामलातदेह में से दे दिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके लिए हमें नया कानून लाने की जरूरत नही पड़ी है भाामलात लैंड जो पहले विलेज प्रंाइअरी बोडी की थी विलेज कौमन लैंड ऐंक्ट के तहत उसकी मालिक बन गई पंचायत और गांव की 36 बिरादरी। अगर जमीन ऐक्वायरकरके या मोल लेकर सरकार को देनी पड़ती तो करोड़ों रूपया देना पड़ता। गुडगांव के पास एक गांव है। अकेले उस गांव को जमीन ऐक्वायरकरके अगर दी जाती तो आठ दस लाख रूपया देना पड़ता। उस गांव से एक

किलोंमीअर की दूरी पर एक गांव है वहां 800 प्लाट हरिजनों और पिछडी जाति के लोगों को दिए है। हमारी एक मौडल विलेज बनाने की स्कीम है। तमाम प्लाटस जो अलौट किए गए हैं।इनके नक्शें बनाए जा रहे है और इन प्लाटस पर मकानात बनान के लिए बैक्स से रूपया ऐडवांस कराया जा रहा है। भाामलता देह में से जमीन देना कोई जुर्म नही है। क्योंकि उस गांव के बाहर के आदमी को वहां जमीन नही दी जाती। विलेज कौमल लैड ऐक्ट के तहत अगर गांव में किसी को जमीनकी जरूरत हो तो भाामलात देह में से दे सकते है बाकायदा पंचायत से रैजोल्यू ान पास कराके, रैवेन्यू अथारिटीज से तस्दीक कराके और रैवेन्यू रिकार्ड में ऐन्ट्रीज करवाकर हमने प्लॉट दिए है। जकरये वैरिफाई करलें डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले विरोधी दल वाले कहा करते थे कि गांव—गांव में बिजली के खम्भे तो लगा दिए लेकिन तारों में बिजली नही है तो मजाक के तौर पर कहां जाता था कि बिजली की तारों में हाथ लगा कर देख ले। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। यह तो रिकार्ड की बात है। मै विरोधी भाइयों को कहना चाहता हूं। कि इस दावे को अगर वे झूठा साबित कर दें तो जो सजा वे मुझे देगे वह सहने के लिए मै त्यार हूं। इन भाब्दों के साथ मै अपनी तकरीर को समाप्त करता हूं।

श्री गौरी भांकर (नरवाना): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै डिमांड नम्बर नौ जो एजुके ान के बारें में है, उस पर बोलना

चाहता हूं। मै एजुके ान मिनिस्टर साहब से आपके जरिए दरखास्त करूंगा कि जो देहातों में पंचायतों ने पैसा इक्ट्ठा करके स्कूल बनाये है, सरकार उनकों अपने अधिकार में ले ले तो गांवों का बोझा बड़ा कम हो सकता है। लोगों से पैसा इक्ट्ठा करके पंचायतों ने स्कूलों को तो बना दिया परन्तु वे उनकी मुरम्मत नही करस सकता है। आपकों पता है कि भाहरों के अन्दर जो स्कूल होहतेळे उनके बनाने पर और उनकी मुरम्मत पर सारा पैसार सरकार की ओर से लगाया जाता है परन्तु गांवों में लोगो ने आपकों बिल्डिग बना कर दी है उसकी रिपेयर पर तो सरकार को पैसा लगाना चाहिए। इसलिए मेरी गुजारि ा है कि आईदा जो किसी स्कूल पर मुरम्मत पर खर्चा हो वह सरकार की ओर से हो।

दूसरे मिनिस्टर साहब ने यहां फरमाया कि कौन से ऐसे सरकारी स्कूल है जिनकी बहुत खराब हालत है, मै आपके द्वारा सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारे नरवाना में लड़कियों का हाई स्कूल है। वह आज से पचास साल पहले बना था। उसकी छत भी गिरने को है लेकिन उसकी कोई मुरम्मत आदि नही की गई। मैने इसके बारें में पहले भी अर्ज किया था। बे ाक मिनिस्टर साहब वहां मौके पर जा कर देख ले और इन्क्वायरी करा लें, इस बिल्डिग की बहुत खराब हालत है। इसको नये सिरे से बनाया जाये या मुरम्मत करायी जाये।

दूसरी बात मै प्लाट्स के बारें में कहना चाहता हूं। यह महकमा पहले एजूके ान मिनिस्टर साहब के पास ही था। मै

उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि राजगढ़ डोभी में किसी को कोई प्लाट नही मिला है दूसरे पीपलथा गांव में आधे हरिजनों को प्लाट्स मिले है, उझाना गांव में कोई 150 हरिजन बाकी है, खरल में भी हरिजनों को प्लाट्स नही दिये गए है। ये सभी गांव नरवाना तहसील के है। किसी गांव में 50 घर है तो किसी में 20 घर है जिनकों आज तक कोई प्लाट्स नही मिले है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि उन गांवों के लोगों को जल्दी से जल्दी प्लाट्स दिलाये जाये।

डिमान्ड नम्बर 8 जो रोड्स एन्ड बिल्डिग्ज के बारें में है। मेरे अपने हल्के में कलायत से दातासिंगी तक एक रोड है जिसमें थोड़ा सा गैप है। उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाये ताकि लोगों को सुविधा को सके। डिप्टी स्पीकर साहिबा मुख्य मंत्री महोदय ने यहां हाउस में कहा है कि मैन सड़कों को काफी लम्बी रोडो के साथ मिला दिया जायेगा ताकि लोगों को फायदा हो सके। खरडवाल से समाइन, यह रोड हिसार टोहना रोड के साथ मिला दी जाये तो लोगोंको बहुत फायदा हो सकता है। एक सड़क कनौरग से भड़दा है वहा भी जरूरी बनानी चाहिए क्योंकि वह सड़क भी काफी लम्बी बन जाती है।

डिमान्ड 14 फूड एंड सप्लाईज के बारें में है। मै सिविल सप्लाईज मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि जो एक दुकानदार को बीस बीस लाइसेन्स लेने पड़ते है, उसका गेहू का अलग, गुड का अलग, खाण्डसारी का अलग, चावल का अलग इन

सबका एक लाइसेंस कर दिया जाये ताकि लोगों को दिक्कत न हो। पंजाब सरकार ने तमाम लाइसेसों को इक्ट्ठा करके एक लाइसेंस बना दिया है। इस लाइसेंस की फीस चाहे ज्यादा रख ले या कम रख ले लेकिन जिस प्रकार से पंजाब में सिस्टम लागू है वही हरियाणा में भी लागू किया जाये। एक लाइसेंस में सारे ही आइटम्स को इन्कलूड कर दिया जाए। ज्यादा लाइसेंस देने का कोई फायदा नही है।

दूसरे सेलज टैक्स लाइसेंस की रिन्यूअल की बात है। अब तो भाायद इसकी मिसाद तीन साल कर दी है, यह परमानेट होनी चाहिए। हर साल जितनी भी फीस मुनासिब समझी जाये लगा दी जाये ताकि दुकानदार को इन्सपैक्अर के चक्कर न काटने पड़े। परमानेन्ट लाइसेंस बना दिया जाये और हर साल उनको रिन्यू न कराना पड़े।

मै आपके द्वारा सेल्जटैक्स के बारें में भी अर्ज करना चाहता हूं। हरियाणा में फूंडग्रेन पर चार परसैन्ट टैक्स है। हमारे पास के प्रान्त दिल्ली में कोई सेल्ज टैक्स नही है। हमारे प्रान्त के लोगों को ज्यादा मंहगा अनाज खरीदना पड़ता है। दूसरे हमारी मार्किट से देहली की मार्किट से ज्यादा अनाज जाता है। हमारे पड़ोस मैं पंजाब ने भी एक परसैन्ट कर दिया है इसी प्रकार से हरियाणा में भी एक परसैन्ट कर देना चाहिए। ऐसा करने से स्टेट को भी फायदा होगाऔर लोगों को भी फायदाहोगा क्योंकि जितना ज्यादा माल बिकेगा उतना ही ज्यादा रस्टेट को फायदा होगा।

अब मै डिमांड नम्बर 15 जो कि सिचाई के मुताल्लिक है, के बारें में अर्ज करना चाहता हूं। जो हमारा सिरसा ब्रान्ज नहर है उसके आसपास के इलाके में सेम आ चुकी है। इसलिए उस नहर पर ट्यबवैल्ज लगाये जोय और जो वहा पर खाल है उनकों पक्का किया जाये। ऐसा करने से एक तो वह इलाका सेम से बच जायेगा और दूसरे लोागें को पानी की सहूलियत मिल जायेगी। मै आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से भी यह दरखास्त करूंगा कि इस नहर को भी पक्का करा दिया जाये तो और भी अच्छा है दूसरे उस एरिया में जो खाल है उनकों भी पक्का किया जाए और जहां पर सेम का एरिया है वहां पर ट्यूबवैल्ज लगाये जायें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी मिल सकें।

हमारे यहां नहर तो बनायी जा रही है। वैसे तो यह नहर जरूरी है, लेकिन इस नहर के लिए व्यास से हमें जो पानी मिलना है। वह काफी समय बाद मिलेगा। यह नहर पहले पंजाब से भाुरू करनी चाहिए थी। इस नहर पर पैसा लगा कर हम इस पैसे को ब्लाक कर देगे और इस पर सूद अलगस से पड़ेगा। इस पर खर्चा हुआ पैसा अभी हाल मेें कोई काम नही आयेगा इसलिए मेरी आपसे नम्र प्रार्थनाहै कि इस काम को पहले पंजाब में भाुरू करना चाहिए ताकि हमारा जो इधर रूपया लगे वह वेस्ट न जाये।

डिमांड नम्बर 10 के बारें में बोलना चाहता हूं। हमारे यहां आजकल जितने भी हस्पताल है उनके लिए बिल्डिगज तो बड़ी बड़ी बनायी है लेकिन वहां पर स्टाफ की कमी है। किसी

जगह पर चार–चार डाक्टर की जरूरत है तो वहां पर एक है, जहां पर दस नर्सो की आव यकता है वहां पांच–सात ही है। इस प्रकार से हस्तपालों में स्टाफ की कमी हैं जहां बिल्डिंग का प्रबन्ध किया है वहां स्टाफ का प्रबन्ध करना चाहिए। दूसरे दवाइयों के लिए भी बजट में बहुत थोड़ा पैसा रखा गया है। वहां भी ज्यादा पैसा रखा जाना चाहिए।

अब मै फैमिली प्लानिग के बोरं में अर्ज करना चाहता हूं।............

उपाध्यक्षाः यह कौनसी डिमान्ड है?

श्री गौरी भांकरः यह डिमान्ड नम्बर 10 है। हैल्थ के बारें में है। सारा ही स्टाफ फैमिली प्लानिंग पर लगा रखा था। सारे डाक्टर परे ाान थे, किसी व्यक्ति को फैमिली प्लानिंग का ठीक प्रकार से आपरे ान नही हुआ। इस तरह से आइन्दा यहबात नही होनी चाहिए एक डाक्टर ही सारे दिन आपरे ान पर लगा रहे। इसलिए स्टाफ का प्रबन्ध होना चाहिए। इन भाब्दों के साथ मै आपका भाुक्रिया अदा करता हूं।

महन्त श्रे योनाथ (किलोई): माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मै तमाम सदन का ध्यान डिमान्ड नम्बर नौ की तरफ दिलाना चाहता हूं। मै आपका ध्यान तथा सभा का ध्यान सामने खम्भे पर लिखे हुए वाक्य की तरफ दिलाना चाहता हूं कि क्या लिखा जाना चाहिए और क्या लिखा हुआ है? पहली बात तो यह है कि यह

गलत लिखा हुआ है। लिखने वाले ने लिख तो बहुत है लेकिन बहुत गलत लिखा हुआ है। उसकों लिखन चाहिए था–

सभायाम प्रवेश्टच्चयं

वक्तव्यं च समंजसम्।

अब्रुवन विब्रुवन वापि

नरों भवति किलि्वशि

इस भाब्दों के माने क्या है? जब सभा में प्रवे ा करना चाहिए तो ठीक बोलना चाहिए, भाुद्ध बोलना चाहिए। अगर कोई खराब बोलताहै या असत्य बोलता है तो वह आदमी किल्विशि है यानी पापी है। यह भाब्द खम्भे पर सामने लिखे हुए है। मै पांच साल से यहां हाउस में देख रहा हूं कि यहां कितनी मिथ्यभाशी है? बहुत कुछ सज्जन सत्य भी बोलते है लेकिन ज्यादातर लोग, जो वेद की हिदयत है, उसकों बदनाम कर रहे है। सामने लिखे हुए वाक्य की तरफ सारे सदन का ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं। मै आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह अ ाुद्ध लिखा हुआ है, इसे भाुद्ध लिखा होना चाहिए और फिर इसके ऊपर आचरण किया जाये। मै आपने ि ाक्षा मंत्री रहे है और आर्य समाजी भी है। मुझे अफसोस है कि उनका ध्यान भी कभी इस ओर नही गया.........

एक आवाजः यह आपके टाईम का ही लिखा हुआ है?

महन्त श्रेयों नाथः मेरे टाईम का लिखा हुआ नही है। अगर यह मेरे टाईम का लिखा हुआ होता तो अब तक कब का ठीक हो गया होता। मेरा कहना यह भी है कि इसे पढ़कर लागू भी किया जाये। कितना गन्दा आचरण यहां पर होता है। यह सदन हरियाणा के भाग्य का फैसला करता है और यहां पर कोई कुछ नही बोल देता है तो कोई कुछ बोल देता है। यहां पर अप ाब्द से अप ाब्द कहे जो है। दूसरे का अपमान किया जाता है। यहां पर ऐसी–ऐसी बाते कही जाती है जिन्हें सुनकर भार्म आती है और मेरा मन कई बार ऐसा होता है कि भाग जाऊं और कई बार मै यहां से बाहर भाग भी जाता हूं। यहां पर मै किसी की नुक्ताचीनी करने वाल आदमी नही हूं। मुझे तो सामने खम्भे पर यह लिखा देखकर इतना कुछ कहना पड़ गयावरना मै कोई ज्यादा बोलने वाला आदमी नही हूं। अस्पतालों में दवाइयां कम है यह तो मै हैल्थ मिनिस्टर रहा हूं, यारी चीज का पता है। यहां पर यह लिखा चाहिएः

सभायां प्रवेश्टच्वय

वक्तवयं च समंजसम्।

अब्रुबन विब्रुवन वापि।

नरो भवति किल्विशि।

ये भाब्द है जो सही है। तो मै प्रार्थना करता हूं, उपाध्यक्षा महोदया, कि इसकी भाुद्ध कल ही किया जये। यह जो

डिमाडंज है, यह तो हर साल आती ही रहती है। इसके साथ ही आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया।

Duputy Speaker: I will now put demand it the vote of the House.

Question is-

That a sum not exceeding Rs. 29,46,550 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 1- Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 5,0529,555 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 2- General Administration.

That a sum not exceeding Rs. 13,45,16,570 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 3-Home

That a sum not exceeding Rs. 3,37,07,630 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 4-Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 1,8578,290 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 5- Excise and taxation.

That a sum not exceeding Rs. 5,40,58,990 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 6-Finance.

That a sum not exceeding Rs. 3,60,40,295 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 7- Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs.23,81,22,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 8-Buildings and roads.

That a sum not exceeding Rs. 39,46,50,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 9-Education.

That a sum not exceeding Rs.22,35,35670 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 10-Medical and Public Health.

That a sum not exceeding Rs. 8,88,59,210 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 11-Urban Development.

That a sum not exceeding Rs. 2,13,89,990 be granted to the Governor to defray the charges that will come in

the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 12-Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 3,44,55,870 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 13- Social welfare and Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 1,00,66,22,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 14-Food and supplies.

That a sum not exceeding Rs. 97,32,65,120 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 15-Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 3,97,92,120 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 16-Industries.

That a sum not exceeding Rs. 15,03,37,050 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 17-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 5,25,46,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 18-Animal Husbandary.

That a sum not exceeding Rs. 33,95,815 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 19-fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 2,06,96,700 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 20-Forest.

That a sum not exceeding Rs. 4,96,22,210 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 9,15,42,600 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 22-Cooperation.

That a sum not exceeding Rs. 41,31,92,550 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 23-Transport.

That a sum not exceeding Rs. 12,44,680 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 24-Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 41,44,74,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in

the course of payment for the year 1977-78 in respect of the charges under Demand No. 25-Loans and Advances.

The motion was carried.

Deputy Speaker: The House stands adjourned till 9-30 A.M. tomorrow.

15:24 बजे |

(The Sabha ten adjourned till 9-30 A.M. on Saturday, the 26th March, 1977).